न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 6/2008

उनवान:–

1. साहबसिंह पुत्र धूडू दत्तक पुत्र झूंथ जाति जाट निवासी बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर । (फौत)

1/1. कृष्णा बेवाह साहबसिंह

1/2. रेखा पुत्री साहबसिंह

1/3. ममता पुत्री साहबसिंह

1/4. शिक्षा पुत्री साहबसिंह

1/5. धोली पुत्री साहबसिंह

:–– अपीलांट/गैर सायल

बनाम

1. मूर्ति बेवा कन्हैया जाति चमार निवासी ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:––– रेस्पो0/गैर सायल

2. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर ।

:–– रेस्पो0/सायल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक 11.3.2004

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.2.2008

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी :– राजकीय अभिभाषक

2. वकील अप्रार्थी:– श्री अशोक कुमार मुदगल

निर्णय दिनांक 30.5.2017

1. प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र अदालत हाजा द्वारा मूल अपील संख्या 69/2004 उनवान साहबसिंह बनाम मूर्ति व राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 14.2.2008 के खिलाफ है, जिसके द्वारा अपीलांट साहबसिंह की अपील स्वीकार कर वादी अपीलांट का वाद डिक्री किया गया था ।

2. राज्य सरकार की ओर पेश इस रिव्यू प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अदालत श्रीमान द्वारा मूल अपील संख्या 69/2004 में गलत प्रकार से निर्णय पारित किया गया है । उक्त अपील में मेरी अनुपस्थिति गलत दर्ज की गई है । जबकि रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुआ था तथा बहस भी की थी । विवादित आराजी रेस्पो0 नम्बर 01 को अलोट हुई थी, जो जाति से चमार है । निर्णय में जिस राजीनामा को आधार बनाया गया है, वह कानूनन मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अपीलांट सवर्ण जाति का है तथा रेस्पो0 नम्बर 01 अनुसूचित जाति का है । कानूनन अनुसूचित जाति की भूमि बयनामा, राजीनामा या अन्य किसी भी तरीके से हस्तांतरित नहीं की जा सकती । अपीलांट एवं रेस्पो0 नम्बर 01 ने आपस में साजबाज होकर विधि विरूद्ध राजीनामा पेश कर अपील स्वीकार करवा ली । धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन हुआ है । अनुसूचित जाति की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में एडवर्स पजेशन भी लागू नहीं होता है । गैर सायल रेस्पो0 नम्बर 01 का आवंटन न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 15/8/1994 उनवान साहबसिंह बनाम मूर्ति देवी में पारित निर्णय दिनांक 26.12.94 से निरस्त किया जा चुका है, किन्तु अदालत श्रीमान द्वारा गौर नहीं किया गया । अदालत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अस्तुतकरण दिनांक 1/3/06

श्रीमान द्वारा इस बिन्दू पर भी गौर नहीं किया गया कि जब रेस्पो० नम्बर 01 का आवंटन निरस्त किया जा चुका था तो वर्तमान रिकार्ड में रेस्पो० नम्बर 01 का नाम किस प्रकार से और क्यों आया । जमाबन्दी सम्वत 2056–61 में रेस्पो० नम्बर 01 की गैर खातेदारी दर्ज है, जबकि पूर्व में विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2018 में मकबूजा सरकार एवं सिवायचक दर्ज रही है । आवंटन निरस्त हो जाने के बाद भी अपीलांट गैर सायल ने विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज नहीं कराया और ना ही अलोट कराया । उपरोक्त सभी तथ्यों पर अदालत श्रीमान ने गौर नहीं किया । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

3. जवाब में विद्वान वकील अपीलांट अप्रार्थी का कथन है कि अपील एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र में अन्तर है । रिव्यू का स्कोप बहुत सीमित है । मूल निर्णय पारित करने में अगर कोई कानूनी बिन्दू या दस्तावेजी बिन्दू विवेचन से छूट जाता है तो ही रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है । विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो बिन्दू अंकित किये हैं, वे सभी मूल निर्णय में विवेचित हो चुके हैं । सम्पूर्ण विवेचन एवं रिकार्ड का अवलोकन करने के उपरान्त ही मूल निर्णय पारित किया गया है । अतः निवेदन है कि यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आदेश 47 नियम 1 सी० पी० सी०, धारा 229 आर० टी० एक्ट, 2005 पार्ट–II पेज 187 पैरा नम्बर 6 व7, 2005 आर० आर० डी० पेज 192, 2002 आर० आर० डी० पेज 33, 1997 सुप्रीम कोर्ट केसेज पार्ट–8 पेज 480, 1980 ए०आई०आर० एस० सी० पेज 480, 2000 ए०आई०आर० एस० सी० पेज 85, 1995 ए०आई०आर० एस० सी० पेज 455, 2007 आर० आर० टी० पार्ट–II पेज 752, 2007 आर० आर० डी० पेज 698 का हवाला दिया ।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । आदेश 47 नियम 01 सी० पी० सी०, धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अनेकों न्यायिक दृष्टांतों में उल्लेखित किया गया है कि रिव्यू का स्कोप बहुत ही सीमित होता है । अगर मूल निर्णय पारित करते समय कोई विधिक बिन्दू अथवा कोई दस्तावेजी साक्ष्य विवेचन से रह जाता है तो ही रिव्यू का प्रार्थना पत्र लगाना चाहिये । रिव्यू के प्रार्थना पत्र में मेरिटस का बिन्दू नहीं उठाया जा सकता । प्रार्थी गैर सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वह उपस्थित था, उसकी गलत तौर अनुपस्थिति दर्ज की गई है । यह बिन्दू रिव्यू प्रार्थना पत्र में नहीं उठाया जा सकता । अगर उसे लगता है कि उसकी अनुपस्थिति गलत दर्ज की गई है तो इसके लिये वह अलग से कार्यवाही करें । साथ ही गैर सायल प्रार्थी ने ये बिन्दु भी प्रार्थना पत्र में उठाये हैं कि अपील स्वीकार करने में धारा 42 बी का उल्लंघन हुआ है, राजस्व रेकार्ड का सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया गया आदि । ये सारे बिन्दू मूल निर्णय पारित करते समय विवेचित किये जा चुके हैं । राजस्व रेकार्ड का भी अवलोकन किया गया है, रेस्पो० नम्बर 01 के आवंटन के निरस्त होने के बिन्दू को भी विवेचित किया जा चुका है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपिकरण दिनांक ...1/3/06...

इतना ही नहीं, मूल निर्णय राजीनामा के आधार पर पारित नहीं किया गया है, बल्कि यह मानते हुए पारित किया गया है कि बंदोबस्त से पूर्व विवादित भूमि अपीलांट के आप दादा के नाम थी, परन्तु इसे सिवायचक दर्ज कर दिया गया और इसी इन्द्राज के आधार पर रेस्पो० नम्बर 01 को गलत आवंटन हुआ है, जिसे स्वंय रेस्पो० नम्बर 01 ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अलवर के यहॉं स्वीकार किया है । इस प्रकार अदालत हाजा द्वारा मूल निर्णय पारित करते समय मेरिटस से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं को विवेचित कर निर्णय दिनांक 14.02.2008 पारित किया है । अब उन्हीं बिन्दुओं को रिव्यू प्रार्थना पत्र में नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि रिव्यू का स्कोप बहुत ही सीमित होता है । लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में एवं गैर सायल अपीलांट द्वारा पेंश की गई नजीरों के परिप्रेक्ष्य में यह रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है । अपीलांट सक्षम न्यायालय में आगामी कार्यवाही/चाराजोही हेतु स्वतन्त्र है ।

5. अतः आदेश है कि यह रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

6. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner